कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म0प्र0)

टाउन हॉल एम.जी.रोड़, खण्डवा (म.प्र.) पिन कोड– 450001, टेलीफोन/फेक्स नं.–0733–2223523, Email ID- commkhandwa@mpurban.gov.in

क्रमांक/स्थापना/2024/254 खण्डवा, दिनांक 23/07/2024

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन की विभिन्न पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019/में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–19/2019/आ.प्र/1 दिनांक 14.02.2024 म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक /676/16017123/20233/18–1 दिनांक 16.02.2023 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं आवास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्थापना/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8–2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए भृत्य/सफाई संरक्षक के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में दिनांक 23 जुलाई 2024 से 08 अगस्त तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे सांय काल तक प्रेषित करें, आवेदन पत्र का प्रारूप निगम मुख्यालय टाउन हॉल एम.जी.रोड़, खण्डवा (म.प्र.) पिन कोड– 450001 एवं नगर पालिक निगम खण्डवा की वेबसाईट (www.khandwakmc.org) से प्राप्त कर नियत तिथि/समय तक निगम मुख्यालय पर पोस्ट स्वयं के द्वारा जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा । डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये नगर पालिक निगम खण्डवा उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म,बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भृत्य	चतुर्थ	15500-49000 (Matrix Level-01)	–	01	–	–	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	22.08.2024
2.	सफाई संरक्षक	चतुर्थ	15500-49000 (Matrix Level-01)	02	02	02	02	5 वीं कक्षा उत्तीर्ण	22.08.2024

मुख्य शर्तें :—

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण—पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी 3—38/16/11/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग—अनु.जा.,अनु.जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी—3—8/2016/3—एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र कमांक सी 3—38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक—इन—इंटरव्यू/साक्षात्कार के सामय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। उतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण—पत्र/जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा
8. वॉक—इन—इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदो के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी िकवह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन—पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गबार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहरिया/सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
खण्डवा

16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्व चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हे यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे।

18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्व चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तताका प्रतिशत 40 या उससे अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।

19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 ये अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।

20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।

21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जावेगी।

22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

प्रतिलिपिः—

1. माननीय महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, खण्डवा।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम, खण्डवा।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला– खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी सदस्य, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, खण्डवा।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग इंदौर/भोपाल।
7. प्र.कार्यालय अधीक्षक, न.पा.नि., खण्डवा की ओर सूचना फलक पर चस्पा हेतु।
8. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, न.पा.नि., खण्डवा की ओर 03 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा